आदेश अनुसार किया गया

(भागवन्ती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

7/11/4

पत्रावली देखी। अपीलार्थी की ओर से
इस आधार पर कार्य किया है कि
के असली अपीलार्थी ने अपने हस्ताक्षर
नहीं किये। अतः वे याचिका की विचारित अनुपालना
का वाद उपयुक्त न्यायालय के पास
पाया है और अपील को निरस्त करना
पाया है।

अपीलार्थी के आवेदन के आधार
पर अपील को withdraw करने
की दी गई। अपीलार्थी उपयुक्त न्यायालय के
विचारित अनुपालना का वाद पेश करने
के लिए स्वतंत्र है। श्री मुकेश कैथल
का वाद तामील तकमील डाकिल
पत्रावली। आदेश दिनांक

7/11/2

(भागवन्ती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा